

**भारतीय स्टेट बैंक**

**पर्यावरण, सामाजिक और** अभि**शासन (ईएसजी) वित्तपोषण फ्रेमवर्क**

**जनवरी 2023**

# पृष्ठभूमि

1806 में अपनी स्थापना के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ("एसबीआई" या "बैंक") भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और अपनी विशाल आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह आस्ति, जमा, लाभ, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जो सामाजिक फलक पर लाखों लोगों के निरंतर विश्वास का पात्र है। एसबीआई जिसका मुख्यालय मुंबई में है, अपनी शाखाओं और आउटलेट, संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से व्यक्तिगत, वाणिज्यिक उद्यम, बड़े कॉर्पोरेट, सार्वजनिक निकाय और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

# पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन ("ईएसजी") दृष्टिकोण

एसबीआई भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के गौरव बोध से आने वाली जिम्मेदारियों से अवगत है। बैंक अपने हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन और एक संवहनीय समाज और भविष्य निर्मिति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, एसबीआई के पास एक एकीकृत स्थिरता दृष्टिकोण है जो व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं के बीच तालमेल और अंतर्संबंध का लाभ उठाने का प्रयास करता है, जो बैंक के विजन, मिशन और मूल्यों के अनुरूप है।

पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन एसबीआई की कार्यनीति के केंद्र में है। ईएसजी का समर्थन करने के लिए एसबीआई के पास कई फ्रेमवर्क और नीतियां हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, संवहनीयता और व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, आचार संहिता आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे पास एक अलग ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है।

बैंक की कॉर्पोरेट सेंटर सस्टेनेबिलिटी कमेटी (CCSC) सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी (BR) पॉलिसी का निष्पादन करती है। यह नीति बैंक की स्थिरता रणनीति को अपनी व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखित करने में मदद करती है और प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों की पहचान करती है। इसके अतिरिक्त, यह एकीकृत तरीके से आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए एसबीआई के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

समिति में कई कार्यों का प्रतिनिधित्व होता है और इसका नेतृत्व उप प्रबंध निदेशक और कॉर्पोरेट विकास अधिकारी करते हैं। बैंक की एक अलग बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति भी है, जो बैंक की सीएसआर गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करती है।

संवहनीयता अभिशासन

कॉर्पोरेट केंद्र

संवहनीयता समिति समिति

मंडल

-

स्तरीय संवहनीयता समिति

उत्पाद और

सेवाएँ

उप

-

 आसपास

समिति

सामाजिक और अभिशासन

उप

 आसपास

समिति

पर्यावरणीय

उप

-

 आसपास

समिति

बोर्ड

-

अनुमोदित

संवहनीयता

और बीआर नीति



एसबीआई अपने पूरे परिचालन में नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्यनिष्ठा और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक नीति आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण कार्य की स्थापना की है.

## 2.1 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एसबीआई का योगदान

एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, एसबीआई संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में भारत की मदद करने में अपनी भूमिका को समझता है। इस दिशा में, बैंक कई उत्पादों और सेवाओं के साथ आया है जो भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

* **जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त: -** एसबीआई उन कॉर्पोरेट्स के लिए ऋण प्रदान करता है जो मौजूदा फीडस्टॉक कोयले या अन्य जीवाश्म ईंधन को बायोमास के साथ बदलने में रुचि रखते हैं। बैंक इस ऋण के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
* **संजीवनी :- हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एसएमई लोन: -** देश में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, एसबीआई ने लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्माण में लगी इकाइयों और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाले मौजूदा अस्पतालों को पूरा करने के लिए एक लोन प्रोडक्ट पेश किया है।
* **स्त्री शक्ति उद्यमी ऋण: -** विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में, एसबीआई ने महिला उद्यमियों को सस्ती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया ऋण उत्पाद तैयार किया है। स्वयं सहायता समूहों ("एसएचजी") से स्नातक करने वालों या संबद्ध कृषि गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों में आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होने पर जोर दिया जाता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र महिला को पहचान किए गए उधारकर्ताओं को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबद्ध किया जाएगा।
* **योनो कृषि सफल डेयरी ऋण: -** कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी के माध्यम से किसानों की डेयरी फार्मिंग की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए योनो प्लेटफॉर्म पर एक पूर्व-अनुमोदित और परेशानी मुक्त क्रेडिट सुविधा।
* **कौशल ऋण योजना: -** यह उत्पाद व्यक्तियों को अपने कौशल को बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करता है। यह सभी के लिए अवसरों को बढ़ावा देता है और समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है।
* **एसबीआई ई-मुद्रा: -** एसबीआई की ई-मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों को उनके व्यवसाय से संबंधित प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने और रोजगार सृजन क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए 50,000 रुपये तक के डिजिटल टर्म लोन का विस्तार करती है। 31 मार्च 2022 तक इसके लिए ₹9.34 बिलियन से अधिक को मंजूरी दी गई है।
* सतत **(SATAT) योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायोगैस ("CBG"): -** एसबीआई सीबीजी संयंत्रों के लिए किफायती परिवहन योजना के स्थायी विकल्प के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है। यह योजना स्थायी औद्योगिकीकरण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है।
* **ग्रीन कार ऋण: -** बैंक नियमित कार ऋण की तुलना में आठ साल तक की लंबी चुकौती अवधि और ब्याज दर पर 20 आधार अंकों (बीपीएस) की रियायत की पेशकश करके ग्रीन कार ऋण योजना के माध्यम से क्लीनर गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
* **एसएचजी वित्तपोषण: -** एसबीआई एसएचजी को स्थायी आजीविका पैदा करने के लिए धन प्रदान करता है। अधिकांश एसएचजी में महिलाएं शामिल हैं, जो लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में बैंक को योगदान करने में मदद करती हैं।
* **पॉलीहाउस का वित्तपोषण: -** शून्य भुखमरी, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, टिकाऊ खपत और उत्पादन, और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों पर प्रगति करने के लिए, एसबीआई पैदावार बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस कृषि परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है।
* **सौर फोटोवोल्टिक पंप सेट का वित्तपोषण: -** एसबीआई किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका प्रदान करने और पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना के साथ संरेखण में सौर जल पंपिंग सिस्टम की खरीद में मदद करता है।
* **ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर पीवी परियोजनाएं: -** वाणिज्यिक संस्थानों और छोटी छतों वाले औद्योगिक भवनों में नवीकरणीय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाते हुए, एसबीआई ने 31 मार्च 2022 तक रूफटॉप सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए ₹10.89 बिलियन को मंजूरी दी है।
* **हेल्थकेयर व्यवसाय ऋण: -** छोटे शहरों और गांवों के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की सुविधा के लिए, एसबीआई ने 31 मार्च 2022 तक ग्राहकों को ₹396.7 मिलियन के हेल्थकेयर व्यवसाय ऋण स्वीकृत किए हैं।
* **किफायती होम लोन: -** एसबीआई अपने होम लोन के माध्यम से लोगों को अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद करता है। प्रदान किए गए होम लोन का 58.19% किफायती आवास ऋण हैं।
* **ई-रिक्शा योजना: -** एसबीआई ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 120.6 मिलियन रुपये मंजूर किए हैं।

## बैंकिंग में ईएसजी दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना

भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, एसबीआई समझता है कि ऋण देने वाली संस्था के रूप में उसके कार्यों का क्या प्रभाव हो सकता है। बैंक ने हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने की दिशा में काम किया है, और अपने परिचालन के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई की है। एसबीआई कोई भी ऋण निर्णय लेते समय विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन से संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उचित संस्थानों को वित्त पोषित किया जा रहा है।

एसबीआई के पास ईएसजी मानदंडों पर उधारकर्ताओं के रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क है, जो निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के लिए ईएसजी मानदंडों की अनिवार्य रेटिंग पर जोर देता है। इसमें भारत में मौजूदा उधारकर्ता और संभावित उधारकर्ता शामिल हैं, जिनके पास सीआरए रेटिंग के समय ₹ 100 करोड़ (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और ₹ 500 करोड़ से अधिक (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) का जोखिम है।

इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने और ग्रीन बॉन्ड और बैंक के ग्रीन बॉन्ड ढांचे के दायरे में आने वाली ग्रीन परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि का उपयोग करने के लिए के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पहले ही तैयार कर लिया है। इस ढांचे का निर्माण क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव (CBI) द्वारा विकसित क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड वर्जन 2.1 के अनुसार किया गया है। फ्रेमवर्क हरित परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने में कार्य करता है और यह भी निवेशकों के लिए अपेक्षित पारदर्शिता और प्रकटीकरण प्रदान करता है।

## संवहनीयता रिपोर्टिंग

बैंक की वार्षिक संवहनीयता रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल मानक ("जीआरआई") के अनुसार तैयार की जाती है। प्रकटीकरण को कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के नौ सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। रिपोर्टिंग को भी अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (IIRC), और संवहनीयता लेखा मानक बोर्ड (SASB) द्वारा परिभाषित मानक ढांचे के साथ संरेखित किया गया है। रिपोर्ट की सामग्री जलवायु से संबंधित टास्क फोर्स की वित्तीय सिफारिश प्रकटीकरण (TCFD) और संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजीs) की प्रगति के उद्देश्य से पहल पर रिपोर्ट से भी ली गई है। रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रकटीकरण संबंधी सूचना को शामिल करने का भी प्रयास किया गया है।

बैंक वार्षिक आधार पर संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करता है और नवीनतम संस्करण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

# ईएसजी वित्तपोषण ढांचे का उद्देश्य

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) फ्रेमवर्क, जिसे इस दस्तावेज़ के माध्यम से (इसके बाद "फ्रेमवर्क" के रूप में संदर्भित किया गया है), एसबीआई के भविष्य के जारी करने के लिए एक हैंडबुक के रूप में प्रस्तावित है हरित, सामाजिक, या टिकाऊ उपकरण (बांड और / या ऋण) जिसका उपयोग पर्यावरणीय या सामाजिक लाभ के साथ पात्र परिसंपत्तियों / परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। जिससे एसबीआई की संवहनीयता रणनीति का विस्तार किया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास में योगदान दिया जा सके।

ऐसे ईएसजी उपकरणों की शुद्ध आय या समकक्ष राशि को "योग्य परियोजनाओं" के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए आवंटित किया जाएगा, जैसा कि फ्रेमवर्क ("पात्रता मानदंड") की धारा 4.2 में परिभाषित किया गया है।

मौजूदा ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को प्रस्तावित ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

## वैश्विक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के साथ संरेखण

फ्रेमवर्क को निम्नलिखित स्थायी वित्त सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के साथ संरेखण में विकसित किया गया है:

* बॉन्ड के संबंध में, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किए गए बॉन्ड को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ("आईसीएमए") ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स 2021, सोशल बॉन्ड प्रिंसिपल्स 2021 और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइंस 2021 के साथ संरेखित किया जाएगा।
* ऋणों के संबंध में, इस ढांचे के अंतर्गत जारी किए गए ऋणों को ऋण बाजार संघ ("एलएमए") ग्रीन लोन सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 के साथ संरेखित किया जाएगा।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, एसबीआई निम्नलिखित तत्वों के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है:

* आय का उपयोग
* परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया
* आय का प्रबंधन
* प्रतिवेदन
* बाहरी समीक्षा

फ्रेमवर्क को बाद में संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है क्योंकि एसबीआई का स्थायी वित्तपोषण फोकस विकसित होता है और/या स्थायी वित्त बाजार प्रगति करता है। इस फ्रेमवर्क का कोई भी भविष्य में संशोधित और अद्यतन संस्करण एसबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क को प्रतिस्थापित करेगा। कृपया आगे की शर्तों के लिए अनुभाग 9 देखें।

# प्राप्त राशि का उपयोग

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जुटाई गई शुद्ध प्राप्त राशि, या एक समान राशि का उपयोग पूरे या आंशिक रूप से वित्त या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा, ऐसी परियोजनाएं जो इस खंड में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुरूप हैं।

* ग्रीन बॉन्ड और/या ग्रीन लोन की आय का उपयोग विशेष रूप से पात्र ग्रीन प्रोजेक्ट्स ("योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट्स") के लिए किया जाना चाहिए जैसा कि 4.2.1 में परिभाषित किया गया है।
* सामाजिक बांड और / या सामाजिक ऋण आय का उपयोग विशेष रूप से पात्र सामाजिक परियोजनाएं ("योग्य सामाजिक परियोजनाएं") जैसा कि 4.2.2 में परिभाषित किया गया है के लिए किया जाना चाहिए।
* सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और/या सस्टेनेबिलिटी लोन आय का उपयोग विशेष रूप से पात्र हरित परियोजनाओं और पात्र सामाजिक परियोजनाओं के संयोजन के लिए किया जाना चाहिए।

इस ढांचे के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी क्रेडिट पोर्टफोलियो को बैंक की उचित परिश्रम संरचना और प्रक्रिया से गुजरना होगा और केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही हरित/सामाजिक/टिकाऊ परियोजना पोर्टफोलियो के अंतर्गत आवंटन के लिए गणना की जाएगी।

## प्राप्त राशि का आबंटन

एसबीआई इस ढांचे के अंतर्गत ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की तारीख से 24 महीने के भीतर सभी प्राप्त राशि को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आबंटित करेगा।

पुनर्वित्त के मामले में, पात्र परियोजनाएं या संपत्तियां जिन्हें प्रासंगिक ग्रीन, सोशल या टिकाऊ उपकरणों के जारी होने की तारीख से 24 महीने पहले तक वित्तपोषित किया गया है, वे अर्हता प्राप्त करेंगे।

## पात्रता मानदंड

इस फ्रेमवर्क में हरित परियोजना और सामाजिक परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड का प्रावधान है। ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए परियोजनाओं को नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

### पात्र हरित परियोजना श्रेणियां

|  |  |
| --- | --- |
| पात्र हरित**परियोजना श्रेणियाँ**  | **पात्रता मानदंड और उदाहरण**  |
| **जैव विविधता**  | परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जिनमें शामिल हैं: * स्थलीय/समुद्री प्राकृतिक आवासों का संरक्षण[[1]](#footnote-1),
* वनों की कटाई और वन क्षरण (आरईडीडी) से उत्सर्जन को कम करने सहित लैंडस्केप संरक्षण/बहाली [[2]](#footnote-2)।

 **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**    |
| चक्रीय **अर्थव्यवस्था और/या पर्यावरण-कुशल** **परियोजनाओं**  | परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण, जिसमें परिपत्र अर्थव्यवस्था और/या पर्यावरण-कुशल परियोजनाओं के पर्यावरणीय और स्थिरता लाभ शामिल हैं: * जैव-आधारित संसाधन-कुशल/निम्न-कार्बन उत्पादों का उत्पादन जो आरएसबी प्रमाणित हैं
* पुनर्नवीनीकरण/अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके उत्पादों का उत्पादन3

 **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**    |

|  |  |
| --- | --- |
| **स्वच्छ परिवहन**  | कम कार्बन वाले यात्री और माल परिवहन या संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास/निर्माण के उद्देश्य से परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण, जिनमें शामिल हैं: * यात्री गैर-सार्वजनिक परिवहन (जैसे, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या 2025 तक 50g CO2e/किमी से नीचे के टेलपाइप उत्सर्जन के साथ (उसके बाद गैर-पात्र),
* यात्री सार्वजनिक परिवहन (जैसे, लाइट रेल ट्रांजिट, मेट्रो, ट्राम, ट्रॉलीबस, बस और रेल) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या 2025 तक प्रति यात्री 50g CO2e/किमी से कम टेलपाइप उत्सर्जन के साथ (उसके बाद गैर-पात्र),
* फ्रेट रेल[[3]](#footnote-3) (ट्रेनों) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या टेलपाइप उत्सर्जन (≤) 25g CO2e/t-km (टन-किलोमीटर) पर या उससे कम के साथ,
* सड़क माल ढुलाई के लिए, शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (बिजली या हाइड्रोजन)।

स्वच्छ परिवहन के लिए रिचार्जेबल बैटरी और ईंधन सेल के विकास, विनिर्माण और पुनर्चक्रण से संबंधित व्यय और वित्तपोषण। इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए उपभोक्ता ऋण से संबंधित व्यय और वित्तपोषण। एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**    |
| **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन**  | निगरानी और/या पूर्वानुमान सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण: * तापमान से संबंधित जलवायु खतरे,
* वायु से संबंधित जलवायु खतरे,
* ▪ या भूमि संबंधी जलवायु खतरे। मौसम से संबंधित क्षति और/या व्यवधान को कम करने या उससे बचने के लिए।

 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) के निवेश, व्यय और वित्तपोषणजलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) में उल्लिखित राष्ट्रीय मिशन:   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | क) मौसम संबंधी क्षति/व्यवधान को कम करने/टालने के लिए अवसंरचना। [[4]](#footnote-4)  एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**   |
| **ऊर्जा दक्षता**  | परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जो ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनका उद्देश्य कम से कम 20% ऊर्जा बचत प्राप्त करना है। उदाहरणों में शामिल: * अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए बैटरी भंडारण से संबंधित ऊर्जा दक्षता लाने वाली परियोजनाओं को शामिल करना
* स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियां[[5]](#footnote-5)
* 6 ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियां (उन्नयन, संशोधन, सेवा और औद्योगिक और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है, उत्पाद डिजाइन, सेवा, पुन डिजाइन, सुविधाओं के परिवर्धन और संशोधन सहित तकनीकी उन्नयन के कारण विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी होती है जिसका ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य होता है) 6 ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियां (उन्नयन, संशोधन, सेवा और औद्योगिक और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है, उत्पाद डिजाइन, सेवा, पुन डिजाइन, सुविधाओं के परिवर्धन और संशोधन सहित प्रौद्योगिकीय उन्नयन के कारण विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी)
* ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार के लिए एलईडी प्रकाश व्यवस्था, घरों के लिए स्मार्ट मीटर और बॉयलरों के प्रतिस्थापन जैसी निर्माण प्रौद्योगिकियां।

 एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**   |

|  |  |
| --- | --- |
| **हरित भवन**  | हरित भवनों सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण[[6]](#footnote-6) के अंतर्गत प्रमाणित: ▪ ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन (LEED) - स्वर्ण या प्लेटिनम। भवन अनुसंधान प्रतिष्ठान पर्यावरण मूल्यांकन विधि (BREEAM) - उत्कृष्ट, या इससे अधिक।  एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**    |
| जैव **प्राकृतिक** **संसाधन और भूमि उपयोग****परियोजना**एं | परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जिनमें शामिल हैं: ▪ सतत मत्स्य पालन और जलीय कृषि *परियोजनाएं*[[7]](#footnote-7)एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**   |
| **अक्षय ऊर्जा**  | नवीकरणीय ऊर्जा सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जैसे: * ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा (फोटोवोल्टिक और केंद्रित सौर ऊर्जा),[[8]](#footnote-8)
* पवन ऊर्जा (तटवर्ती और अपतटीय),
* जल विद्युत (25MW से कम उत्पादन, या कृत्रिम जलाशय के बिना रन-ऑफ-रिवर परियोजनाएं11)
* अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएं जो कृषि/वानिकी अपशिष्ट या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) से ऊर्जा की वसूली करती हैं, इस शर्त के साथ कि अधिकांश पुनर्चक्रण योग्य (विशेष रूप से प्लास्टिक) ऊर्जा रूपांतरण से पहले अलग हो जाते हैं और बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा (<100g CO2e/KWh के प्रत्यक्ष उत्सर्जन तक सीमित),
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ▪ बिजली उत्पादन के लिए बायोएनेर्जी[[9]](#footnote-9) (जैसे, तेल बीज फसलें, चीनी फसलें, लकड़ी के छर्रों, पीट और ताड़ के तेल को छोड़कर) (<100g CO2e/KWh के जीवन-चक्र उत्सर्जन तक सीमित)। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान**[[10]](#footnote-10)  |
| अनुकूल **जल** **और अपशिष्ट जल** प्रबंधन  | परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास/विनिर्माण करना, उपकरण और प्रौद्योगिकी शामिल हैं * स्वच्छ और/या पीने के पानी (*साफ पानी) का प्रावधान*

*उपचार सुविधा*), * सौर फोटोवोल्टिक पंप सेट,
* वर्षा जल संचयन प्रणाली और तालाबों का विकास,
* अपशिष्ट-जल उपचार (जल पुनर्चक्रण प्रणाली. सीवर नेटवर्क, उपचार/खाद और घोल उपचार सुविधाएँ),
* बागवानी (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के तरीके, कम प्रवाह वाले पानी के जुड़नार के साथ पानी के मॉनिटर और नल का विकास)।

एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**  |
| **अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता**  | परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जिनमें शामिल हैं: ▪ अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (अपशिष्ट संग्रह/प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण), [[11]](#footnote-11)  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ▪ प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं। (परियोजनाएं जो द्वारा अनुमोदित हैंस्मोक-स्टैक स्क्रबर की स्थापना, या प्रक्रिया उन्नयन, उत्सर्जन नियंत्रण/अनुपालन की निगरानी/परीक्षण के लिए सेंसर की स्थापना के माध्यम से वायु उत्सर्जन को कम करने से संबंधित भारत का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)15) एसडीजीके **महत्वपूर्ण योगदान**कर्ता**:**    |

### पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणियाँ

|  |  |
| --- | --- |
| पात्र **सामाजिक परियोजना श्रेणियाँ**  | **पात्रता मानदंड और उदाहरण**  |
| **प्रवेश तक** **सेवाएँ**  | अनिवार्य  | * व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण; 16
* सामाजिक बुनियादी ढांचे (जैसे, स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹ 5 करोड़ की सीमा तक ऋण। 17

एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**       |
| किफायती**अवसरंचना**  | आधारभूत  | आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं: ▪ बसों सहित वाहन18 जो ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में आम जनता के लिए गतिशीलता को सक्षम बनाता है, जिसमें परिवहन तक कोई पहुंच या अपर्याप्त पहुंच नहीं है,  |

15वित्तपोषण जीवाश्म ईंधन उत्पादन से वायु प्रदूषण की रोकथाम को बाहर करेगा; और वायु प्रदूषण की रोकथाम जो सीधे उन प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होती है जो ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर स्वाभाविक रूप से निर्भर हैं।

16 निम्न-आय/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों  पर विशेष जोर दिया जाएगा। 17पात्र परियोजनाओं/संस्थाओं के वित्तपोषण में, बैंक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित) सहित सभी के लिए पहुंच की पुष्टि की आवश्यकता होगी

18 वाहनों को वित्तपोषित और/या पुनर्वित्त भी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के अधीन किया जाएगा। पात्रता में ऐसे वाहन शामिल हैं जो केवल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं।

|  |  |
| --- | --- |
|  | * उन क्षेत्रों में सड़कों का विकास जिनमें कनेक्टिविटी की कमी है, या अविकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में,
* टीयर II से टियर VI केंद्रों में घरेलू शौचालयों के निर्माण/नवीनीकरण और घरेलू स्तर पर पानी में सुधार सहित पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता 5 करोड़ रुपये तक का ऋण[[12]](#footnote-12)।

एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**       |
| **किफायती आवास**   | निवेश या परियोजनाएं जिनमें शामिल हैं: 1. कम लागत वाले घरों की खरीद या निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण[[13]](#footnote-13)
2. मौजूदा घर के नवीनीकरण के लिए व्यक्तियों को ऋण [[14]](#footnote-14)
3. किफायती आवास परियोजनाओं के लिए ऋण[[15]](#footnote-15)

 इसके अतिरिक्त, एसबीआई का इरादा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को ऋण को प्राथमिकता देने का है। एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **एसएमई वित्तपोषण/ माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से** रोजगार सृजन | रोजगार सृजन प्रदान करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं: * एमएसएमई को ऋण जैसा कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे एमएसएमई को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित किसी भी तरीके से वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में संलग्न होना चाहिए या किसी भी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए होना चाहिए,
* एमएसएमई और/या माइक्रोफाइनेंसिंग लेनदेन से उत्पन्न अंतर्निहित ऋणों के साथ अन्य वित्तीय संस्थानों से द्वितीयक क्रेडिट पोर्टफोलियो में खरीद या निवेश, जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है या अन्यथा इस ढांचे में सूचीबद्ध पात्रता मानदंडों में से एक को पूरा करता है।

 एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**    |
| **खाद्य सुरक्षा**  | निवेश या बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं और सुविधाएं जैसे कि गोदामों में निवेश पर्याप्त भंडारण प्रदान करने, खाद्य संरक्षण में सुधार करने या खाद्य नुकसान से बचने के लिए खाद्य श्रृंखला में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए  एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**   |
| **सामाजिक** **उन्नति और** **सशक्तिकरण**  | सामाजिक आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण को सक्षम करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं: ▪ कृषि क्षेत्र को ऋण देने में कृषि ऋण (किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण और मध्यम/दीर्घकालिक ऋण), और सहायक गतिविधियां शामिल होंगी जैसा कि परिशिष्ट ए में तालिका 1 में निर्धारित किया गया है, एसडीजी **में महत्वपूर्ण योगदान:**      |
|  |    |
| **सामाजिक परियोजना** **श्रेणि**यों **के लिए लक्षित जनसंख्या**  | उपर्युक्त परियोजना श्रेणियां/मानदंड निम्नलिखित लक्षित जनसंख्या में से एक या अधिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर सकते हैं: * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 23 और कम आय वाले परिवार24
* ग्रामीण समुदाय
* बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति[[16]](#footnote-16)
* अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति[[17]](#footnote-17)
* बेरोज़गार लोग
* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) [[18]](#footnote-18)
 |

### अपवर्जन मानदंड

किसी भी मामले में, पात्र परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ("IFC") अपवर्जन सूची (2007) में सूचीबद्ध गतिविधियों के प्रकार के [[19]](#footnote-19)साथ-साथ निम्नलिखित उद्योग श्रेणियों को बाहर करती हैं:

* स्वच्छ कोयला और जीवाश्म ईंधन से संबंधित कोई अन्य संपत्ति,
* परमाणु ऊर्जा और परमाणु संबंधित संपत्ति,
* 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं,

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 800,000 रुपये से कम है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1781353>

24संदर्भ: [https://पीएमaymis.gov.in/PDF/HFA\_Guidelines/hfa\_Guidelines.pdf](https://pmaymis.gov.in/PDF/HFA_Guidelines/hfa_Guidelines.pdf)

* लक्जरी क्षेत्र जैसे कीमती धातुएं, कीमती कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं, गोल्फ कोर्स सेवाएं और आतिथ्य समूह,
* प्राथमिक वन, समृद्ध जैव विविधता, उच्च संरक्षण मूल्य क्षेत्रों, या कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित भूमि पर स्थित कृषि या वनों की कटाई के संचालन,
* एमएसएमई जो जानबूझकर और जानबूझकर बाल श्रम, जबरन श्रम, अनुचित श्रम प्रथाओं, संघर्ष खनिजों, शिकारी उधार, खनन उपकरण, कार्बन गहन क्षेत्रों और हथियार, खनन, तंबाकू जैसे विवादास्पद क्षेत्रों में संलग्न हैं।
* किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार मेजबान देश के कानूनों या नियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के अंतर्गत अवैध माना जाता है, या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन है।

# परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया

ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक परियोजना की पात्रता निर्धारित करने और उसके अंतर्गत पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए एक संवहनीयता समिति ("एससी") की स्थापना की जाएगी।

एससी के सदस्य होंगे:

 i मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट नीति और प्रक्रियाएं) – *अध्यक्ष*

*(वैकल्पिक अध्यक्ष- मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन -1)*

ii. महाप्रबंधक (एग्रीकल्चर)- *सदस्य*

*(वैकल्पिक सदस्य- महाप्रबंधक (एनबीएफसी गठबंधन))*

iii. महाप्रबंधक-I (लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई - एसएमईबीयू) – *सदस्य*

*(वैकल्पिक सदस्य- महाप्रबंधक-II (लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय)*

*इकाई -* एसएमईबीयू*)*

iv. उप महाप्रबंधक (सीएसआर और स्थिरता) – *नोडल अधिकारी और संयोजक*

v.उप महाप्रबंधक (आईबीजी के अंतर्गत ट्रेजरी मैनेजमेंट ग्रुप-I) –

*सदस्य (वैकल्पिक सदस्य- उप महाप्रबंधक (आईबीजी के अंतर्गत ट्रेजरी मैनेजमेंट ग्रुप- II)*

समिति का न्यूनतम कोरम तीन होगा, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट नीति और प्रक्रियाएं) या उनके वैकल्पिक और उप महाप्रबंधक (सीएसआर और स्थिरता) शामिल हैं।

फ्रेमवर्क में मानी जाने वाली किसी भी परियोजना को ऊपर धारा 4.2 में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार एससी द्वारा मंजूरी देनी होगी और निगरानी और ट्रैकिंग उद्देश्य के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ("सीबीएस") में लेबल किया जाएगा।

एससी इस ढांचे के अंतर्गत जारी किए गए ईएसजी उपकरणों के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की देखरेख करेगा।

## प्रासंगिक परियोजना (परियोजनाओं) से जुड़े ईएसजी जोखिमों की पहचान और प्रबंधन

एसबीआई ने प्रासंगिक परियोजनाओं से जुड़े सामाजिक, पर्यावरणीय और अभिशासन जोखिमों की पहचान की सुविधा के लिए ईएसजी मानदंडों पर उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) का आकलन करने के लिए 'ईएसजी जोखिम रेटिंग मॉडल' तैयार किया है। ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के लिए प्रासंगिक परियोजनाएं भारत में मौजूदा उधारकर्ता/भावी उधारकर्ता होंगी, जिनका एसबीआई के साथ 100 करोड़ रुपये (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये (असूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से अधिक का मौजूदा/प्रस्तावित कुल एक्सपोजर होगा। ऐसी प्रासंगिक परियोजनाओं को मूल्यांकन चरण में आंतरिक रेटिंग के समय ईएसजी मानदंड पर अनिवार्य रूप से रेट करना होगा।

इन प्रासंगिक परियोजनाओं का विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा और ईएसजी 1 से ईएसजी 16 तक कुल स्कोर के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, ईएसजी 1 से ईएसजी 5 रेटेड परियोजनाओं को ईएसजी लीडर्स के रूप में लेबल किया जाएगा।

यदि आय का उपयोग पात्र श्रेणी में संबंधित परियोजना (परियोजनाओं) के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विचार करने से पहले परियोजनाओं को ईएसजी मानदंड पर रेट किया गया है। पुनर्वित्त के मामले में, इन प्रासंगिक परियोजनाओं को पहले से ही ईएसजी मानदंड पर रेट किया जाएगा।

# प्राप्त राशि का प्रबंधन

हरित, सामाजिक अथवा सतत पोर्टफोलियो के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा परियोजनाओं/खातों के लिए सीबीएस/ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली/प्रबंधन सूचना प्रणाली में एक लेबलिंग तंत्र विकसित किया जाएगा जिसे उत्पाद कोड के माध्यम से निकाला जा सकता है।

लेबल ऋण खाता संख्या, उधारकर्ता का नाम, आय का उपयोग, स्वीकृत राशि, आहरित और बकाया ऋण की राशि, ऋण परिपक्वता और अन्य आवश्यक जानकारी सहित ग्रीन, सामाजिक या टिकाऊ पोर्टफोलियो के विवरण के निष्कर्षण को सक्षम करेगा ताकि जारी आय का कुल योग और आय का उपयोग या आवंटन वास्तविक समय के आधार पर दर्ज किया जा सके।

परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में किसी भी पुनर्भुगतान/पुनर्वित्त और आय के लिए निर्धारित नए ऋण पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ईएसजी पोर्टफोलियो को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

अनाबंटित आय, यदि कोई हो, को लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या आवंटित किया जाएगा, जैसा कि बैंक द्वारा धारा 4.2.3 में ऊपर निर्धारित बहिष्करण मानदंड में पहचाने गए क्षेत्रों या गतिविधियों के सख्त बहिष्करण के साथ बैंक द्वारा उचित समझा जाता है। समग्र आवंटन इस ढांचे की धारा 4.1 में विस्तृत शर्तों के अनुसार होगा।

## प्राप्त राशि आबंटन: लेबलिंग तंत्र

लेबलिंग तंत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी: लेन-देन की तारीख, (शुद्ध) आय की राशि, परिपक्वता तिथि, कूपन, ऋण/बॉन्ड प्रकार, मूल्य निर्धारण तिथि, आईएसआईएन कोड और/या आवश्यकतानुसार अन्य पहचानकर्ता।

इसके अलावा, संपूर्ण ईएसजी पोर्टफोलियो की प्राप्त राशि के आबंटन पर निम्नलिखित जानकारी शामिल की जाएगी:

* विभिन्न पात्र हरित परियोजनाओं और/या पात्र सामाजिक परियोजनाओं की परियोजना ब्रीफिंग आबंटित
* विभिन्न पात्र हरित परियोजनाओं और/या पात्र सामाजिक परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि
* अनाबंटित प्राप्त राशि
* अनाबंटित प्राप्त राशि का उपयोग

## ईएसजी पोर्टफोलियो: प्राप्त राशि की निगरानी

ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत समग्र पोर्टफोलियो की स्थिति की निगरानी एससी द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी। ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल वर्गीकरण के अंतर्गत विचार किए गए समग्र पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव या ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल पोर्टफोलियो से अलग-अलग परियोजनाओं को हटाना और जोड़ना फ्रेमवर्क में निर्धारित पात्र मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और इसे एससी द्वारा मंजूरी देनी होगी।

जारी किए गए ऋणों/बांडों की अवधि के दौरान, यदि नामित परियोजनाएं फ्रेमवर्क का अनुपालन करना बंद कर देती हैं या यदि उन्हें स्थगित कर दिया जाता है या यदि पात्र परिसंपत्तियों को एसबीआई द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शुद्ध आय को अन्य पात्र परियोजनाओं या परिसंपत्तियों को फिर से आवंटित किया जाएगा, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर ऐसी घटना के निर्धारण की तारीख से 24 महीने के भीतर।

इस तरह की निगरानी ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किए गए लिखतों की पूरी अवधि में की जाएगी।

# रिपोर्टिंग

बैंक इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक लिखत के लिए आय के उपयोग की रिपोर्ट बैंक की वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट के हिस्से के रूप में या स्टैंडअलोन आधार पर करेगा। आबंटन रिपोर्टिंग का प्रकटीकरण वार्षिक रूप से पूर्ण आवंटन तक और भौतिक विकास की स्थिति में आवश्यक होने तक किया जाएगा।

यह रिपोर्ट एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें कम-से-कम निम्नलिखित जानकारी होगी:

* पात्र हरित परियोजना श्रेणी और/या पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणी द्वारा आबंटन राशि, जिसमें एसडीजी (एस) का समर्थन होता है
* आबंटित की जाने वाली प्राप्त राशि, और इसका अस्थायी उपचार
* वित्तपोषण बनाम पुनर्वित्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्राप्त राशि का अनुपात
* भौगोलिक वितरण द्वारा आबंटन राशि
* योग्य परियोजना उदाहरण, गोपनीयता के अधीन
* अनाबंटित प्राप्त राशि और इसका अस्थायी उपचार

## प्रभाव रिपोर्टिंग

प्रभाव रिपोर्टिंग का प्रकटीकरण वार्षिक रूप से पूर्ण आवंटन तक और भौतिक विकास के मामले में सामयिक आधार पर किया जाएगा। जहां भी संभव हो और पात्र परियोजनाओं की प्रकृति और जानकारी की उपलब्धता के अधीन, बैंक फ्रेमवर्क (परिशिष्ट बी) के अंतर्गत जारी ईएसजी उपकरणों के माध्यम से वित्तपोषित पात्र परियोजनाओं (पुनः) के गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभावों पर रिपोर्ट करने का प्रयास करेगा। इस तरह की प्रभाव रिपोर्ट निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।

# बाहरी समीक्षा

एसबीआई इस फ्रेमवर्क के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के साथ-साथ आईसीएमए ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स 2021, सोशल बॉन्ड प्रिंसिपल्स 2021, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइंस 2021, एलएमए ग्रीन लोन प्रिंसिपल्स 2021 और सोशल लोन प्रिंसिपल्स 2021 के संरेखण पर एक सलाहकार/बाहरी ऑडिटर से एक दूसरे पक्ष की राय ("एसपीओ") प्राप्त करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। द्वितीय पक्ष की राय एसबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी: www.sbi.co.in.

एसबीआई धारा 7 में बताई गई आय के आवंटन और प्रभाव रिपोर्टिंग पर जारी करने के बाद आश्वासन देने के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष को संलग्न कर सकता है।

# ढांचे में संशोधन

बाजार में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के उद्देश्य से बैंक नियमित आधार पर इस फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगा, जब भी वे जारी किए जाते हैं, जिसमें लागू सिद्धांतों और/या दिशानिर्देशों के अद्यतन संस्करणों के साथ संरेखण शामिल है। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप इस ढांचे को अद्यतन और संशोधित किया जा सकता है।

बैंक आगे नोट करता है कि इस फ्रेमवर्क के घटक भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक के परिचालन क्षेत्राधिकारों के भीतर अन्य संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित नीतियों और परिभाषाओं के संदर्भ को ओवरलैप करते हैं। ऐसी नीतियों और परिभाषाओं में भौतिक विकास और परिवर्तन के मामले में, बैंक अपने विवेक पर, नवीनतम नीति विकास के अनुसार संबंधित पात्र श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड को अद्यतन कर सकता है।

इस ढांचे का कोई भी अद्यतन या तो पारदर्शिता और रिपोर्टिंग प्रकटीकरण के वर्तमान स्तरों को बनाए रखेगा या सुधारेगा, जिसमें बाहरी समीक्षक द्वारा संबंधित समीक्षा भी शामिल है। एसबीआई सलाहकार/बाहरी लेखा परीक्षक से ("एसपीओ") एक नई दूसरी राय (सेकेंड ओपीनियन) प्राप्त करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा जो लागू सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अद्यतन संस्करणों के साथ-साथ अद्यतन ढांचे के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के साथ-साथ इसके संरेखण के अनुरूप होगा।

इस तरह के अपडेशन पर फ्रेमवर्क बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क को प्रतिस्थापित करेगा।

**परिशिष्ट ए[[20]](#footnote-20)**

#  तालिका 1: कृषि वित्त

|  |  |
| --- | --- |
|  फार्म क्रेडिट  | निम्न के लिए ऋण * स्व-सहायता समूह (एसएचजी) अथवा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) अर्थात्

किसानों के समूह, * छोटे/सीमांत किसान
* लघु/सीमांत किसानों की किसान सहकारी समितियां

सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न, जैसे, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन। इसमें शामिल होगा: 1. किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण और बागवानी शामिल होंगे, और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण,
2. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, (जैसे कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, सिंचाई और खेत में किए गए अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण, और संबद्ध गतिविधियों के लिए विकासात्मक ऋण।
3. किसानों को अपने स्वयं के कृषि उपज की कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और परिवहन के लिए ऋण,
4. कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) की गिरवी/दृष्टिबंधक के खिलाफ किसानों को ₹ 50 लाख तक का ऋण 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए,
5. गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी संकटग्रस्त किसानों को ऋण,
6. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण,
7. कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।
 |
| कृषि अवसरंचना  | व्यक्तिगत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और/या कॉर्पोरेट किसानों, किसानों के उत्पादक संगठनों, साझेदारी फर्मों और किसानों की सहकारी समितियों को छोटे/सीमांत किसानों तक सीमित ऋण: 1. मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास,
2. पादप ऊतक संवर्धन और कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव-कीटनाशकों का उत्पादन, जैव-उर्वरक और वर्मी कंपोस्टिंग।
 |
| सहायक गतिविधियाँ  | 1. सदस्यों की उपज के निपटान के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹5 करोड़ तक का ऋण
2. कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए ऋण,
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (iii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को बैंक ऋण, कृषि को आगे उधार देने के लिए किसान सेवा समितियां (एफएसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियां (एलएएमपी),   |

**परिशिष्ट बी ग्रीन प्रोजेक्ट श्रेणियों की प्रभाव रिपोर्टिंग**

***(ग्रीन प्रोजेक्ट श्रेणियों से संबंधित प्रभाव रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत संकेतक आईसीएमए हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ इम्पैक्ट रिपोर्टिंग से संदर्भित किए जा सकते हैं)***

|  |  |
| --- | --- |
| पात्र हरित**परियोजना** **श्रेणियाँ**  | **पर्यावरणीय प्रभाव संकेतक उदाहरण**  |
| जैव विविधता  | * संरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक भू-दृश्य क्षेत्र का रखरखाव/सुरक्षा/वृद्धि।
* परियोजना से पहले और बाद में प्रति किमी² पूर्वनिर्धारित लक्ष्य जीवों और प्रजातियों की संख्या
* परियोजना से पहले और बाद में संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित संवेदनशील प्रजातियों की संख्या
 |
| चक्रीयअर्थव्यवस्था और/या पर्यावरण कुशल परियोजनाएं | * पुन: प्रयोज्य उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित एकल उपयोग उत्पादों का%।
* पुन: प्रयोज्य, पुन: प्रयोज्य, और/या प्रमाणित कंपोस्टेबल सामग्री, घटकों और उत्पादों में % वृद्धि
* परियोजना के कुल सामग्री उत्पादन के % के रूप में उत्पादित परिपत्र सामग्री का बढ़ा हुआ अनुपात
* अपशिष्ट जिसे परियोजना से पहले और बाद में रोका जाता है, कम से कम किया जाता है, पुन: उपयोग किया जाता है या पुनर्नवीनीकरण किया जाता है
* वर्जिन कच्चे माल जो विनिर्माण प्रक्रियाओं से माध्यमिक कच्चे माल और उप-उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं
 |
| स्वच्छ परिवहन  | * वार्षिक GHG उत्सर्जन कम/टाला गया (tCO2eq p.a.)
* यात्री-किलोमीटर निर्माण कटौती का वायु प्रदूषक
* तैनात स्वच्छ वाहनों की संख्या (जैसे, इलेक्ट्रिक)
* किलोमीटर चालित या कुल परिवहन सवारियों के हिस्से के रूप में कार/ट्रक के उपयोग में अनुमानित कमी।
* ईंधन की खपत में अनुमानित कमी
 |
| जलवायु परिवर्तन अनुकूलन  | * मेगावाट में ग्रिड लचीलापन, ऊर्जा उत्पादन, पारेषण/वितरण और भंडारण में वृद्धि
* जंगल की आग की संख्या में कमी, और/या वर्ग किमी में जंगल की आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में कमी
* तूफान के कारण मरम्मत लागत में कमी
* बिजली/परिवहन सेवाओं की हानि झेल रहे ग्राहकों/कर्मचारियों की संख्या में कमी
* तूफान के कारण अक्षम बिजली लाइनों की संख्या में कमी। बाढ़ क्षति लागत में कमी, बाढ़ से खोए परिचालन दिनों की संख्या में कमी
* बाढ़ और/या तटीय कटाव से भूमि हानि में कमी
 |
| ऊर्जादक्षता  | • • •  | वार्षिक ऊर्जा बचत वार्षिक GHG उत्सर्जन कम/टाला गया (tCO2eq p.a.) लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या  |
| हरित भवन  | •  •  | ऊर्जा का उपयोग कम हो गया; साइट पर उत्पन्न अक्षय ऊर्जा वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन टन सीओ 2 इक्विव में कम/टाला गया।  |
|  | •  | कार्बन उत्सर्जन का% कम/टाला गया  |
| जैव प्राकृतिक संसाधन और  भूमि उपयोग परियोजनाओं  | •  | वित्त पोषित स्थायी मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों की संख्या  |
| अक्षय ऊर्जा  | • • •  | वार्षिक हरित गृह गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम/टाला गया (tCO2eq p.a.) वार्षिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन मेगावाट में निर्मित या पुनर्वासित अक्षय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता  |
| अनुकूल जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन  | • • • •  | परियोजना से पहले और बाद में वार्षिक जल उपयोग, % में पानी के उपयोग में कमी। परियोजना से पहले और बाद में उपचारित, पुन: उपयोग या टाले गए अपशिष्ट जल की वार्षिक मात्रा। परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाले लोगों की संख्या, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं बाढ़ और सूखे के परिणामों को कम करने के उपायों से लाभान्वित होने वाले लोगों और /  |
| अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता  | • • • • •  | कम से कम किए गए, पुन: उपयोग किए गए या पुनर्नवीनीकरण किए गए कचरे की प्रतिशत मात्रा (%) वार्षिक GHG उत्सर्जन कम/टाला गया (tCO2eq p.a.) गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट से वाषक ऊर्जा उत्पादन अपशिष्ट से प्राप्त निवल ऊर्जा प्रति वर्ष कचरे की वार्षिक मात्रा जिसे अलग किया जाता है और/या एकत्र किया जाता है और उपचारित किया जाता है (खाद सहित) या निपटाया जाता है।  |

# सामाजिक परियोजना श्रेणियों की प्रभाव रिपोर्टिंग

***(सामाजिक परियोजना श्रेणियों से संबंधित प्रभाव रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत संकेतक आईसीएमए हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ इम्पैक्ट रिपोर्टिंग फॉर सोशल बॉन्ड से संदर्भित किए जा सकते हैं)***

|  |  |
| --- | --- |
| पात्र सामाजिक **परियोजना** **श्रेणियाँ**  | **सामाजिक प्रभाव संकेतक**  |
| आवश्यक सेवाओं तक पहुंच  | * लाभार्थियों की संख्या
* बेहतर स्वास्थ्य सेवा के साथ लोगों की संख्या तक पहुंचा
* निर्मित चिकित्सा केंद्रों की संख्या
* शैक्षिक अवसंरचना के लिए बकाया ऋण की राशि
 |
| किफायती बेसिक अवसरंचना  | * लाभार्थियों की संख्या
* स्थापित पेयजल/स्वच्छता सुविधाओं की संख्या
* वाहनों की संख्या जो सार्वजनिक गतिशीलता को सक्षम बनाती है
* अविकसित क्षेत्रों की सेवा करने वाली वित्तपोषित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या
* पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण/नवीनीकरण के लिए स्वीकृत ऋणों की संख्या।
 |
| किफायती आवास  | * क्षतिपूर्ति आवास कार्यक्रमों के लिए बकाया ऋण की राशि
* निर्मित/संरक्षित फ़्लैट की संख्या
* लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
 |
| रोजगार सृजन  | * सृजित नौकरियों की संख्या
* वित्तपोषित/समर्थित एसएमई की संख्या
* एसएमई के कर्मचारियों की संख्या समर्थित
 |
| खाद्य सुरक्षा  | * खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या में कमी
* कुपोषण में कमी
* सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन प्रदान करने वाले लोगों की संख्या
* वित्तपोषित गोदामों की संख्या बुनियादी ढांचे
 |
| सामाजिक-आर्थिक प्रगतिऔर सशक्तिकरण  | * पात्र वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या
* पात्र वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वाले छोटे/सीमांत किसानों की संख्या
 |

1. दलदल, खाड़ियों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्राकृतिक आवासों और परिदृश्यों की बहाली, संरक्षण या संरक्षण; शहरी क्षेत्रों जैसे पार्कों में जैविक विविधता की बहाली या संरक्षण। ऐसी गतिविधियों से केवल स्थानीय वृक्ष-प्रजातियों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है जो साइट की स्थितियों के अनुकूल हों और एफएससी/पीईएफसी को प्रमाणित एक स्थायी प्रबंधन योजना हो। [↑](#footnote-ref-1)
2. वनीकरण/पुनर्वनीकरण गतिविधियों के लिए, वित्तपोषित परियोजनाओं में वृक्ष प्रजातियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो साइट की स्थिति के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और रासायनिक पुनर्चक्रण को छोड़कर प्लास्टिक के एफएससी या पीईएफसी 3 पुनर्चक्रण के लिए प्रमाणित एक स्थायी प्रबंधन योजना होनी चाहिए । नीचे दिए गए मानदंडों के साथ इन उत्पादों के निर्माण के लिए केवल पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा:

 i) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का कम से कम 90% प्लास्टिक का उपयोग करके उत्पादन के लिए विचार किया जाएगा।

द्वितीय) अंतिम उत्पाद का कम से कम 90% एकल उपयोग उत्पाद के लिए अभिप्रेत नहीं है और अंतिम उत्पाद पुन: प्रयोज्य है। [↑](#footnote-ref-2)
3. जीवाश्म ईंधन भाड़ा परिवहन किए गए माल के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए (टन/किमी में) [↑](#footnote-ref-3)
4. उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप जलापूर्ति में सुधार करने के लिए परियोजनाओं में जलवायु सह्य पानी के टैंक का निर्माण शामिल हो सकता है जिनका उपयोग इमारतों में पानी भंडारण के लिए किया जाता है, छत संरचना में सुधार, वर्षा जल संचयन सुविधाएं हो सकती हैं। [↑](#footnote-ref-4)
5. स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों की श्रेणी के अंतर्गत अधिक कुशल पारेषण और वितरण को सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकियों/घटकों का विकास, विनिर्माण, स्थापना। इसमें एससीएडीए सिस्टम, संचार और सेंसर प्रौद्योगिकियां जैसे वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम (डब्ल्यूएएमएस), एडवांस / स्मार्ट मीटर, निगरानी और नियंत्रण स्वचालन उपकरण, बड़ा डेटा या कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। 7 इस श्रेणी के भीतर व्यय ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को उन प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन या अभिप्रेत नहीं करते हैं जो स्वाभाविक रूप से कार्बन गहन हैं, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित या ईंधनयुक्त हैं, जैसे: तेल या गैस से चलने वाले बॉयलर, सह-उत्पादन और सीएचपी इकाइयों के साथ-साथ स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम जैसे भारी उद्योगों में उत्पादन प्रक्रियाएं। [↑](#footnote-ref-5)
6. नए भवनों का विकास अथवा अधिग्रहण अथवा मौजूदा भवनों का रेट्रोफिट/उन्नयन/नवीकरण बशर्ते कि ऐसे रेट्रोफिट/उन्नयन/नवीकरण से ऊर्जा दक्षता में कम से कम 30% सुधार हो अथवा भवन प्रमाणन स्तरों में सुधार हो। [↑](#footnote-ref-6)
7. एक मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय तृतीय-पक्ष मानक द्वारा प्रमाणित और न्यूनतम रेटिंग आवश्यकता प्राप्त की है। (उदाहरण के लिए खेत स्तर प्रमाणन के लिए एएससी, जलीय कृषि के लिए ग्लोबल जीएपी। [↑](#footnote-ref-7)
8. सुविधा से उत्पन्न बिजली का कम से कम 85% सौर ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त किया जाएगा, और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा बैक अप सुविधा के बिजली उत्पादन के 15% तक सीमित होगा 11आकार के बावजूद, एक विश्वसनीय निकाय द्वारा किए गए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रति परियोजना की आवश्यकता होती है, और कोई महत्वपूर्ण जोखिम या अपेक्षित नकारात्मक प्रभाव की पहचान नहीं होनी चाहिए। 2019 के बाद चालू होने वाली पात्र परियोजनाओं में 10W/m2 से अधिक बिजली घनत्व होगा, जबकि 2019 से पहले चालू परियोजनाओं के लिए, 5 W/m2 से अधिक बिजली घनत्व सुनिश्चित किया जाएगा। [↑](#footnote-ref-8)
9. बायोमास/ईंधन जो उच्च जैव विविधता के स्रोतों से प्राप्त होता है, जो खाद्य स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है या जो कार्बन पूल को कम करता है, उसे बाहर रखा गया है [↑](#footnote-ref-9)
10. परिशिष्ट क में निहित पात्रता मानदंड की तालिकाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण (मास्टर निदेश FIDD.CO) का अनुसरण करती हैं। योजना.बीसी.5/04.09.01/2020-21) [↑](#footnote-ref-10)
11. कचरा संग्रहण गतिविधियों के लिए, स्रोत पृथक्करण सुनिश्चित किया जाएगा। रिकवरी और प्रोसेसिंग के लिए, कचरे से ऊर्जा सुविधाओं के लिए पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाएगा। गतिविधि प्लास्टिक के रासायनिक पुनर्चक्रण को बाहर कर देगी। ई-कचरे के पुनर्चक्रण के मामले में, संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। [↑](#footnote-ref-11)
12. आरबीआई/2009-10/243 डीबीओडी 65/22.01.001/2009-10 दिनांक 01.12.2009 के आधार पर केन्द्रों का स्तर-वार वर्गीकरण।) [↑](#footnote-ref-12)
13. एसबीआई आरबीआई के मास्टर निर्देशों - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण (20 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन) का पालन करता है और आवास ऋण प्रदान करने का इरादा रखता है, क्योंकि घर की लागत 1 मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरीय केंद्रों में INR 4.5 मिलियन से अधिक नहीं है और अन्य केंद्रों में INR 3 मिलियन से अधिक नहीं है। एसबीआई का इरादा महानगरीय केंद्रों में INR 3.5 मिलियन और अन्य केंद्रों में INR 2.5 मिलियन से अधिक की राशि के लिए इस तरह के कम लागत वाले आवास ऋण प्रदान करने का है। [↑](#footnote-ref-13)
14. एसबीआई आरबीआई के मास्टर निर्देशों - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण – लक्ष्य और वर्गीकरण (20 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन) का पालन करता है, जिसमें मौजूदा घर के नवीनीकरण के लिए ऋण राशि महानगरीय केंद्रों में INR 1 मिलियन तक और अन्य केंद्रों में INR 600,000 तक होगी। [↑](#footnote-ref-14)
15. आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन - प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग - टार्गेट्स एंड क्लासिफिकेशन (20 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन) और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, "अफोर्डेबल हाउसिंग" को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) के कम से कम 50% का उपयोग करके हाउसिंग प्रोजेक्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। [↑](#footnote-ref-15)
16. एसबीआई भारत सरकार की विकलांग व्यक्तियों (PwD) की परिभाषा का अनुसरण करता है, जैसा कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में दिया गया है: <https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts.php> [↑](#footnote-ref-16)
17. एसबीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) के तहत परिभाषित एससी और एसटी की परिभाषा का पालन करता है। [↑](#footnote-ref-17)
18. एमएसएमई की एसबीआई की परिभाषा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के अनुसार है, जिसमें एक सूक्ष्म उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है, एक छोटे उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 100 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 500 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है और एक माध्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश INR 500 मिलियन से अधिक नहीं है और टर्नओवर INR 2.5 बिलियन से अधिक नहीं है। [↑](#footnote-ref-18)
19. आईएफसी बहिष्करण सूची में मुख्य रूप से अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि में उत्पादन या व्यापार, हथियारों और युद्ध सामग्री, मादक पेय (बीयर और वाइन को छोड़कर), तंबाकू, रेडियोधर्मी सामग्री और अनबॉन्डेड एस्बेस्टस फाइबर, जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यमों, बहाव नेट फिशिंग में उत्पादन या व्यापार के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं को उत्पादन या गतिविधियों को शामिल नहीं करना चाहिए जिसमें जबरन श्रम/हानिकारक बाल श्रम के हानिकारक या शोषणकारी रूप, प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन में उपयोग के लिए वाणिज्यिक लॉगिंग ऑपरेशन और स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के अलावा लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों में उत्पादन या व्यापार शामिल हैं। पूरी सूची जानने के लिए: http://www.ifc.org/exclusionlist [↑](#footnote-ref-19)
20. परिशिष्ट क में निहित पात्रता मानदंड की तालिकाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण (मास्टर निदेश FIDD.CO) योजना.बीसी.5/04.09.01/202021 का अनुसरण करती हैं।

1 [↑](#footnote-ref-20)